संख्या:-18/2020/2362/78-1-2020-03आई0टी0/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2020**

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को केस-टू-केस आधारित विशेष प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यूपीएलसी:इलेक्ट्रानिक्स पॉलिसी:2020-21, दिनांक 10-07-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मोबाइल एवं आईटी डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 01-07-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रस्तावित इकाई द्वारा भूमि के मूल्य को छोड़कर, 10 वर्षो में निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कुल रू0 4825.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया हैः-

मशीनरी	**धनराशि(रु करोड)**	**निर्माण कार्य**	**धनराशि (रु करोड)**
IInd Hand Machinery	473.00	Factory Building Office Building	487.00
IT Infrastructure	124.00	Utility Building	143.00
Security Equipment & Education Facility	71.00	Green Center (Water Treatment/ Recycle)	63.00
Reliability Test and Analysis Lab	154.00	Utility Machinery	273.00
Production Line implementation	206.00	Welfare Building (Office 2)	163.00
Dismantle and Transport of Machinery	198.00	Construction Delay (NGT Ban/COVID 19)	287.00
Upgrade of Machinery	1584.00	Construction Layout and Supervision	67.00
		Indirect Tax (GST) on Buildings)	291.00
		ETC	241.00
TOTAL	2810.00	TOTAL	2015.00
		GRAND TOTAL	**4825.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में इन्सेन्टिव के औचित्य का आकलन करते हुए मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत निम्नानुसार सुविधाएं देय होगी:-

a) उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने पर परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा रु0 150.00 करोड़ तक अनुमन्य होगी।

b) उक्त पूंजीगत उपादान के साथ मेसर्स एस.डी.एन. को रु0 1000.00 करोड़ से अधिक निवेश पर क्रमिक निवेश (इन्क्रीमेन्टल इन्वेस्टमेंट) के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 100.00 करोड़ होगी, उत्पादन प्रारम्भ करने पर अनुमन्य होगी। यह अतिरिक्त पूंजीगत उपादान 05 वार्षिक किश्तों में देय होगा।

c) नीति के अनुसार मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

d) पूंजीगत उपादान हेतु निवेश की गणना हेतु निवेशक द्वारा प्रस्तावित किये गये स्थिर पूंजी निवेश में रु0 473.00 करोड़ की पुरानी मशीनों (IInd hand machinery) के मूल्य की गणना भारत सरकार द्वारा निर्गत SPECS योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार कर उनकी लागत स्थिर पूंजी निवेश के रूप में अनुमन्य होगी।

e) मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर जिन नये भवनों का निर्माण भूमि हस्तान्तरण से पूर्व कर लिया गया है, उनकी लागत को स्टाम्प शुल्क की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3- यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017' के प्रस्तर 4.7 (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन हेतु विचाराधीन परियोजना की पात्रता सुनिश्चित की जायेगी।

4- चूंकि प्रश्नगत परियोजना प्रदेश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण निवेश है। अतः निवेशकर्ता के अनुरोध के दृष्टिगत इस परियोजना को निवेशकर्ता द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार उत्पादनरत करने के लिए प्रदेश के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिकस विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, नोएडा विकास प्राधिकरण तथा नोडल एजेन्सी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यूपीएलसी द्वारा नियमानुसार सभी संभव सहयोग शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाये ताकि निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में फैसिलिटेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की छवि और बेहतर तरीके से स्थापित हो सके।

5- यह आदेश मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।
कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-18/2020/2362(1)/78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0।
7- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
10- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in